



Neutral Citation No. - 2026:AHC:19770

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - A सं. - 1135/2026

सुनील कुमार यादव और 18 अन्य.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता:कलमुद्दीन, मो. औरंगजेब सिद्दीकी

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता:मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय कक्ष सं. - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री औरंगजेब सिद्दीकी और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से पेश हुए विद्वान स्थायी वकील श्री जितेंद्र प्रसाद की दलीलें सुनी गई।
2. विरोधी पक्षों के वकीलों ने संयुक्त रूप से यह बयान दिया है कि वे आगे कोई हलफनामा दाखिल करने का इरादा नहीं रखते हैं; अतः, पक्षों की सहमति से, इस रिट याचिका का निपटारा प्रारंभिक चरण में ही किया जा रहा है।
3. रिट याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि उन्होंने वर्ष 2008 में जारी विज्ञापन के अनुसरण में 'सफाई कर्मी' के पद के लिए आवेदन किया था और उनका दावा है कि उनका चयन हो गया था; हालाँकि, दिनांक 01.07.2025 को, भदोही के जिला मजिस्ट्रेट ने जिला भदोही में सफाई कर्मियों की तैनाती के संबंध में प्रमुख सचिव, पंचायती राज को एक पत्र जारी किया था। पंचायती राज निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने भी दिनांक 25.08.2025 को क्षेत्रीय उप निदेशक, पंचायती राज को जिला भदोही में सफाई कर्मियों की नियुक्ति के संबंध में एक बैठक आयोजित करने हेतु पत्र भेजा था। रिट याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना है कि प्रतिवादी संख्या 2 ने दिनांक 05.08.2025 को सफाई कर्मियों की नियुक्ति के संबंध में प्रतिवादी संख्या 1 को एक पत्र भेजा था, और पंचायती राज निदेशक, लखनऊ ने दिनांक 18.09.2025 को विभिन्न जिलों के जिला पंचायती राज अधिकारियों को एक आदेश/निर्देश पत्र जारी किया था। रिट याचिकाकर्ताओं के अनुसार, दिनांक 18.09.2025 का उक्त पत्राचार स्वयं में अवैध है; विशेष रूप से तब, जब भदोही में अभी भी कई पद रिक्त पड़े हैं, जिनके विरुद्ध रिट याचिकाकर्ताओं को कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जा सकती है, परंतु अब उन पदों को अन्य जिलों में समायोजित करने का प्रयास किया जा रहा है। रिट याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने निवेदन किया कि वे अपनी प्रार्थना को केवल इस सीमा तक सीमित रखते हैं कि, रिट याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 15.11.2025 को जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत अभ्यावेदन का उचित निपटारा किया जाए।
4. विद्वान स्थायी वकील ने निवेदन किया कि, स्थिति चाहे जो भी हो, रिट याचिकाकर्ता के लिए भदोही के जिला मजिस्ट्रेट से संपर्क करने का विकल्प सदैव खुला है। 5. विरोधी पक्षों की दलीलों और उनके द्वारा अपनाए गए रुख को ध्यान में रखते हुए, इस रिट याचिका का निपटारा इस शर्त के साथ किया “अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



जा रहा है कि रिट याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता दी जाती है कि वह रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति के साथ, तीसरे प्रतिवादी के समक्ष एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करे; तीसरा प्रतिवादी, इसे प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर, याचिकाकर्ता के दावे पर निर्णय लेने की प्रक्रिया शुरू करेगा और आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से दो महीने के भीतर, कानून के अनुसार सख्ती से निर्णय लेगा। यदि तीसरे प्रतिवादी की यह राय है कि इस मामले पर किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए, तो संबंधित कागजात उस प्राधिकारी को भेज दिए जाएंगे।

6. यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि इस रिट याचिका पर निर्णय, प्रतिवादियों से कोई जवाब मांगे बिना ही लिया गया है। अतः, इस आदेश को पारित किए जाने का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि इस न्यायालय ने मामले के गुण-दोष की जांच की है।
7. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, इस रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

29 जनवरी, 2026

राजेश

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”